प्रेस विज्ञप्ति

**15.08.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 14.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स व्यूनाउ समूह की कंपनियों से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई मेसर्स व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक राहुल आनंद भार्गव और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित है।

ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा बीएनएस, 2023 के प्रावधानों के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जाँच के दौरान यह पता चला कि व्यूनाउ ग्रुप के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपियों/संस्थाओं के साथ मिलकर हज़ारों करोड़ रुपये का 'क्लाउड पार्टिकल घोटाला' रचा और निवेशकों को अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने के लिए लुभाया। बिक्री और लीज़-बैक मॉडल (एसएलबी मॉडल) पर आधारित क्लाउड पार्टिकल का मूल व्यवसाय वस्तुतः अस्तित्वहीन पाया गया, और ऐसे ग्राहकों की संख्या नगण्य पाई गई जो व्यूनाउ ग्रुप से क्लाउड पार्टिकल्स किराए पर ले सकते थे। वास्तव में, डेटा सेंटर ग्राहकों से कोई किराया राशि प्राप्त नहीं हुई थी और व्यूनाउ ग्रुप का पूरा व्यवसाय केवल एक मनी रोटेशन स्कीम पाया गया।

जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि ईडी जांच शुरू होने के बाद व्यूनाउ ग्रुप द्वारा किसी भी निवेशक को कोई किराया नहीं दिया गया था, जो कि नए निवेशकों द्वारा कोई निवेश नहीं किए जाने और किसी भी ग्राहक की अनुपस्थिति का परिणाम था, जो व्यूनाउ ग्रुप को किराया दे सकता था और जिसे परिसंपत्ति मालिकों (निवेशकों) को भुगतान किया जा सकता था।

तलाशी अभियान के दौरान, 23.90 लाख रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अपराध-संकेती रिकॉर्ड जब्त किए गए और 63.49 करोड़ रुपये के शेयर और 9.99 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त की गईं। तलाशी कार्यवाही के दौरान कुल 73.72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/जमा की गई।

इससे पहले, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 26.11.2024, 17.01.2025 और 24.02.2025 को तलाशी ली गई थी। 06.02.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां कुर्क की गईं। जांच के दौरान आरोपी सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को 28.02.2025 को और आरिफ निसार को 24.02.2025 को गिरफ्तार किया गया और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद, उनके और उनकी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत 24.04.2025 को पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की गई।

आगे की जाँच जारी है।